कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: 1128 /जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2008–09 दिनांक 6/6/08 2008

कार्यालय ज्ञाप

संयुक्त सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 741/उन्तीस(2)08–2(33पै0)/2008 पेयजल अनुभाग–2 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 द्वारा जिला योजना की जनजाति क्षेत्र उपयोजना ट्राईबल सबप्लान (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आयोजनात्मक पक्ष जिला योजना में जनपद पिथौरागढ़ हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित वर्तमान वर्ष 24.25 लाख रू0 के सापेक्ष 24.25 लाख रू0 की स्वीकृति/निर्धारण पर रखी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा उत्तराखंड पेयजल निगम पिथौरागढ़ ने अपने पत्र संख्या 1720/AC–3/49 दिनांक 13.05.2008 द्वारा उक्त आवंटित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चाहने हेतु इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथा अनुमोदित कार्य योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त शासनादेश में दिये निर्देशानुसार तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा उत्तराखंड पेयजल निगम पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2008–09 की जिला योजना में पेयजल निगम पिथौरागढ़ हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कुल 24.25 लाख रू0 (चौबीस लाख पच्चीस हजार रू0) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. उक्त शासनादेश संख्या 741/उन्तीस(2)08–2(33पै0)/2008 पेयजल अनुभाग–2 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. इस धनराशि का व्यय केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2008–09 में अनुमोदित कार्यों के लिये किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय स्वीकृत योजनाओं पर ही आवंटित सीमा तक किया जाय। धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेश के तहत किया जाय। जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
4. जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उसमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. जिन योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जाने हो उनके आगणनों की तकनीकी जाँच जिला स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) के परीक्षोपरान्त योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जाय।
6. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कार्य निर्धारित सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी की होगी।
7. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रगति हेतु सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
8. स्वीकृति धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाय जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो, साथ ही कार्य प्रारम्भ करने की पूर्व की स्थिति, कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य का फोटोग्राफ पत्रावली में सुरक्षित रखा जाय।
9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2009 तक कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति विवरण विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध कराया जाय।
10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम संग्रह खण्ड 5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम/शासनादेश आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
11. व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। आहरण/व्यय एक मुश्त न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जाय।
12. व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
13. उपरोक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेशों में निहित शर्तों के अधीन किया जाय।
14. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।
15. मासिक व्यय विवरण/बी0ए0सी–9 प्रत्येक माह अपने विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः–

16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या 31 के लेखा शीर्षक 2215– जलापूर्ति तथा सफाई – 01 –जलापूर्ति – आयोजनागत – 796 जनजातीय उप योजना – 91 ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम – (जिला योजना) – 00 – 20 – सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 /शासनादेश संख्या 741/उन्तीस(2)08–2(33पै0)/2008 पेयजल अनुभाग–2 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 तथा अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 985/जिला योजना/टी0ए0सी0गठन/2008–09 दिनांक अप्रैल 30, 2008 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

(डी.सेंथिल पाण्डियन)
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

संख्या: 1128/जि0यो0/प्रा0वि0स्वी0/2008–09 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम, पिथौरागढ।
2. अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम, पिथौरागढ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
4. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ।
5. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मंडल हल्द्वानी।
6. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त कुमाँयू मंडल नैनीताल।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग बजट सैल उत्तराखंड शासन देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखंड देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून।
8. सचिव, पेयजल निगम,उत्तराखंड देहरादून।
9. सचिव, नियोजन, उत्तराखंड शासन देहरादून।
10. सचिव, वित्त उत्तराखंड शासन देहरादून।

02/06/08
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।